प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत दुष्कर्म के अभियुक्त को हुई डबल आजीवन कारावास की सजा

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादों में समस्त थाना प्रभारियों को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है।

इस क्रम में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिला सम्बन्धी अपराधों में सतत पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 09.04.2021 को थाना संदना से सम्बन्धित मु0अ0सं0 104/17 धारा 452/376/506 भा.द.वि व 3(1)(12) एससी/एसटी एक्ट बनाम नन्हे तिवारी पुत्र प्रमोद कुमार निवासी ग्राम नारायनपुर थाना संदना जनपद सीतापुर में संदना पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। दिनांक 09.04.2021 को विचारण पूर्ण कर श्रीमान विशेष न्यायालय एससी/एसटी एक्ट द्वारा अभियुक्त नन्हे तिवारी उपरोक्त को धारा 452 भा.द.वि में पांच वर्ष सश्रम कारावास व 3,000/- रू0 अर्थदण्ड, धारा 376 भा.द.वि में आजीवन कारावास में 10,000/- रू0 अर्थदण्ड, धारा 506 भा.द.वि में दो वर्ष सश्रम कारावास एवं 1,000/- रू0 अर्थदण्ड व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट में आजीवन कारावास एवं 10,000/- रू0 अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

--------------0--------------